<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>07.02.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 05.02.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत मुंबई में पांच स्थानों पर **इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड** और इरोस समूह की अन्य संस्थाओं द्वारा कथित रूप से धन के दुरुपयोग के मामले में चल रही जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशी संस्थाओं, अचल संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने सेबी की जांच के आधार पर ईआरओएस समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ वित्तीय जानकारी में कथित रूप से गड़बड़ी करने और करीब 2000 करोड़ रुपये की राशि के फंड को डायवर्ट/गबन करने के आरोप में जांच शुरू की है। ईआरओएस समूह की मुख्य इकाई "इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड" है, जो एक भारतीय मोशन पिक्चर प्रोडक्शन और वितरण कंपनी है। इरोस दुनिया भर में कई प्रारूपों में भारतीय फिल्मों का सह-निर्माण, अधिग्रहण और वितरण करता है, जिसमें थिएटर, टेलीविजन सिंडिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

ईडी की जांच के दौरान, ऐसे साक्ष्य जुटाए गए हैं जो फंड के डायवर्जन में पहचाने गए तौर-तरीकों को इंगित करते हैं। इस मामले में, यह पाया गया है कि इरोस ने वित्त वर्ष 2012-13 और वित्त वर्ष 2020-21 के बीच कुछ संस्थाओं को कंटेंट एडवांस के रूप में 2000 करोड़ रुपये (लगभग) का भुगतान किया। कोविड-19 महामारी के कारण बैलेंस शीट की सफाई के एक हिस्से के रूप में वसूली न होने के बहाने इरोस ने इन संस्थाओं से बकाया बड़ी रकम को बट्टे खाते में डाल दिया। इस तरह, इरोस ने कंटेंट एडवांस का भुगतान करके अपने वित्तीय विवरणों को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की थी, जिसे बाद में कंपनी में वापस डायवर्ट या राउंड-ट्रिप किया गया, इन लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए काल्पनिक मूवी राइट्स खरीद का इस्तेमाल किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।